113

-1-

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग 3458-I-16

श्रीमती जनकरानी पति स्व. करोड़ीलाल पटैल
निवासी रजाखेड़ी सागर तह. व जिला सागर
.....आवेदिका

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन
द्वारा -- तहसीलदार सागर .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदिका न्यायालय श्रीमान तहसीलदार जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 46अ/6/2015–16 आदेश दिनांक 12.04.2016 से परिवेदित होकर निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करती है:–

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदिका के पति स्व. करोड़ीलाल के द्वारा मौजा रजाखेड़ी में खसरा नंबर 156 में से 1 एकड़ भूमि विधिवत रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 11.02.1992 के जरिये सामलाती क्रय की थी उपरोक्त भूमि आवेदिका के पति एवं सहखातेदार श्रीमती उमादेवी सक्शेना का आधा–आधा हक व हिस्सा होने से आधी–आधी भूमि पर मालिक काबिज चले आ रहे है आवेदिका के पति की मृत्यु 16.12.2008 को हो जाने से आवेदिका द्वारा आवेदन नायब तहसीलदार महोदय सागर वृत्त–2 के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होंने दिनांक 12.04.2016 को आवेदिका का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि विक्रयपत्र का नामांतरण पूर्व में हो चुका है जिससे इस न्यायालय को पुनः प्रकरण सुनने की अधिकारिता नहीं है। आवेदिका ने हल्का पटवारी से जानकारी प्राप्त की तो संशोधन पंजी क्र. 308 दिनांक 10.04.1993 में उपरोक्त वैनामा के आधार पर तहसीलदार सागर द्वारा आवेदिका के पति के नाम 0.05 एकड़ एवं सहखातेदार श्रीमती उमादेवी के नाम 0.95 एकड़ भूमि अवैद्य तरीके से दर्ज कर दी गई है (आवेदिका एवं सहखातेदार के नाम 0.50 एवं 0.50 एकड़ दर्ज होना थी) जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-3458/I/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-2016	1— आवेदिका के अधिवक्ता दिलीप गोस्वामी उपस्थित अनावेदक शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 46अ/6/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 12—04—2016 के विरूद्व म0प्र0 भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन शपथपत्र सहित प्रस्तुत किया है। 2— आवेदिका के विलंब माफ किए जाने के तर्को पर विचार कर प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्ध जी. आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में निगरानी में भूमि विलंब को माफ किया जाता है। 3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदिका के पति स्व.श्री करोड़ीलाल पटैल एवं सहखातेदार श्रीमती उमादेवी ने मौजा रजाखेड़ी ख.नं. 156 रकवा 1.एकड़ भूमि विधिवत रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दि.11.02.1992 के जरिये क्रय की थी एवं क्रय दिनांक से अपने—अपने हिस्से पर मालिक काबिज चले रहे है आवेदिका के पति की मृत्यु दिनांक 16.12.2008 को हो जाने से आवेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष फौती नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो दि.11.6.14 को निरस्त कर दिया गया है। तदोपरांत आवेदिका के सहखातेदार श्रीमती उमादेवी द्वारा भी संहिता की धारा 109—110 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया किंतु वह भी दिनांक 12.04.2016 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि पूर्व में नामांतरण आदेश पारित किया जा चुका है इस कारण से इस न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। आवेदिका वैनामा के आधार पर नामांतरण चाहती है किंतु तहसीलदार द्वारा 12.04.2016 को आवेदन निरस्त कर दिया इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4— उनका यह भी तर्क है कि आवेदिका के पति की मृत्यु उपरांत संशोधन पंजी क. 308 दि. 10.04.1993 की जानकारी	

R-3458/II/16 सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

हुई कि खसरा नंबर 156 के कई बटांक हुए जिसमें उक्त संशोधन पंजी में आवेदिका के पति के नाम ख.नं. 156/13 रकवा 0.50 एकड़ के स्थान पर 0.05 एकड़ दर्ज कर दिया गया है एंवं सहखातेदार उमादेवी के नाम ख.नं.156/12 रकवा 0.95 एकड़ दर्ज कर दिया है अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.एन. 2011 273 (उच्च न्या.) आर.एन. 2012 362 (उच्च न्या.) आर.एन. 2013 390 (उच्च न्या.) का हवाला देकर उन्होंने निगरानी स्वीकार कर संशोधन पंजी कमांक 308 में पारित आदेश दि.10.04.1993 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दि. 12.04.16 तथा 11.06.14 निरस्त कर वैनामा के आधार पर आधी–आधी भूमि में नामांतरण किए जाने का अनुरोध किया है।

5— आवेदिका अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में आवेदिका के पति स्व.श्री करोड़ीलाल पटैल एवं सहखातेदार श्रीमती उमादेवी द्वारा रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनाँक 11.02.1992 के जरिये ग्राम रजाखेड़ी खसरा नंबर 156 रकवा 1 एकड़ भूमि सामलाती क्रय की थी एवं संशोधन पंजी कमांक 308 दिनांक 10.04.1993 में त्रुटिपूर्ण आवेदिका के पति के नाम खसरा नंबर 156/13 रकवा 0.50 के स्थान पर 0.05 एकड़ दर्ज कर दी गई है एवं सहखातेदार उमादेवी के नाम खसरा नंबर 156/12 रकवा 0.50 के स्थान पर 0.95 एकड़ दर्ज कर दी गई है जिस कारण से यह विवाद उत्पन्न हो हुआ है। अवैधानिक संशोधन पंजी क. 308 दि 10.04.1993 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.16 तथा 11.06.14 को मैं वैद्य नहीं पाता हूँ।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तहसीलदार सागर की संशोधन पंजी क. 308 दि.10.04.93 एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 12.04.16 तथा 11.04.14 निरस्त करते हुए निष्पादित रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 11.02.1992 के आधार पर तहसीलदारं सागर को निर्देश दिए जाते है कि ख.नं. 156/12 एवं 156/13 के रकवा 0.50–0.50 एकड़ आवेदिका के पति के वैद्य वारिस एवं सहखातेदार उमादेवी के नाम नामांतरण के निर्देश दिए जाते है। तद्नुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं। आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य